>

Title: Introduction of the narcotic drugs and psychotropic substances (Amendment) Bill, 2008 (Amendment of Section 2, etc.).

डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदर्शोर) : महोदय, मैं पूरताव करता हूँ कि स्वापक औषधि और मनःपूभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

MR. CHAIRMAN (SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN): The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985."

The motion was adopted.

डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदर्सोर) : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ_।